

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 जनवरी 2026 — माघ 9, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 जनवरी 2026

अधिसूचना

फा. क्रमांक 114/3399/21-ब/छ.ग./25.— विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 22ख की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से, एतद्वारा, अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित व्यक्तियों को अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत के सदस्य के रूप में नामांकित करती है:-

क्रमांक	व्यक्ति का नाम	जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत का नाम
1	2	3
1.	(1) श्री उमाकान्त वर्मा (2) श्रीमती प्रभा गहवार	रायपुर
2.	(1) श्रीमती संजू तंबोली (2) श्रीमती साधना तिवारी	जगदलपुर
3.	(1) श्री अनिल कुमार सिन्हा	अंबिकापुर
4.	(1) श्री अनुपम कुमार सिंह	बिलासपुर

F. No. 114/3399/XXI-B/C.G./26.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 22-B of the Legal Services Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987), the State Government, in consultation with the State Legal Services Authority, hereby, nominate the persons shown in column No. (2) of the Schedule as member for the Permanent Lok Adalat specified in column No. (3) of the Schedule :-

SCHEDULE

S.No.	Name of person	Name of permanent Lok Adalat for public utility
1	2	3
1.	(1) Shri Umakant Verma (2) Smt. Prabha Gahwar	Raipur
2.	(1) Smt. Sanju Tiwari	Jagdalpur

	(2) Smt. Sadhna Tiwari	
3.	(1) Shri Anil Kumar Sinha	Ambikapur
4.	(1) Shri Anupam Kumar Singh	Bilaspur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.